

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

कमांक: प0 11(1)मंमं/99

जयपुर, दिनांक: 30-5-2012

**आज्ञा**

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 6.1.2000 एवं दिनांक 30.7.2010 के क्रम में राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षता/उपाध्यक्षता जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को देय सुविधाओं में संशोधन करते हुए दिनांक 1.4.2012 से निम्न प्रकार से वेतन एवं अन्य राजकीय सुविधायें दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. वेतन 30,000/- रुपये (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है)  
27,000/- रुपये (जिन्हें राज्यमंत्री स्तर का दर्जा है)  
24,000/- रुपये (जिन्हें उपमंत्री स्तर का दर्जा है)
2. एक वाहन जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु।
3. चिकित्सा सुविधा मंत्री/राज्यमंत्री को देय नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार।
4. यात्रा भत्ता मंत्री/राज्यमंत्री को देय (ए क्लारा अधिकारी के अनुसार)  
यात्रा भत्ता।
5. दैनिक भत्ता राजकीय कार्य हेतु:-  
(क) राज्य में 1000/- रुपये प्रति दिन  
180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)  
(ख) राज्य से बाहर 1250/- रुपये प्रति दिन  
100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)
6. टेलीफोन एक नि:शुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु  
एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगी:-  
मंत्री स्तर हेतु 20,000/- काल्स प्रति दो माह में  
राज्य मंत्री स्तर हेतु 17,000 काल्स प्रति दो माह में  
उप मंत्री स्तर हेतु 7,500 काल्स प्रति दो माह में
7. ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था राजकीय कार्य हेतु राजस्थान हाऊस, नई दिल्ली एवं राज्य के विभिन्न विश्राम गृहों में ठहरने एवं भोजन आदि हेतु नियमानुसार सामान्य दर पर सुविधा देय होगी।  
विश्राम भवन, जयपुर में उक्त सुविधा देय नहीं होगी।

माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को प्रदत्त वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में से उक्त सात सुविधाओं में जब-जब वृद्धि होगी, तदनुसार यह आदेश संशोधित किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. संख्या 101001913 दिनांक 30.06.2010 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(~~ओ.पी.एस.जी.एन.~~)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/ मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
2. समस्त माननीय विभिन्न आयोगों के अध्यक्षता/उपाध्यक्षता जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री स्तर का दर्जा स्वीकृत है।
3. समस्त सम्बन्धित प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय।
4. सचिव, मुख्यमंत्री।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज.।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर। 7. लेखाधिकारी, शासन प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
8. अधीक्षक, शासन सचिवालय, जयपुर। 9. शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2 व 3) विभाग।
10. कान्ट्रीनर, राज. स्टेट मोटर वैशाल, जयपुर। 11. शक्ति प्रवावली।

04/20/12  
शासन उप सचिव